दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय
गोरखपुर-273001

(नैक प्रत्यायित 'B' श्रेणी)

सम्बद्ध

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

☎ & Fax : 0551-2334549

: 09792987700

e-mail : digvijayans@gmail.com

: dnpggkp@gmail.com

website : www.dnpgcollege.edu.in

पत्रांक : /2018–19 दिनांक : 01.09.2018

छात्रसंघ चुनाव अधिसूचना : 2018–19

1. डॉ. श्रीमती शशिप्रभा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, रसायन शास्त्र को एतद्द्वारा चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जाता है। नामांकन–पत्र का प्रारूप रू. 100/– जमा कर पुस्तकालय भवन से प्राप्त किया जा सकता है। नामांकन–पत्र चुनाव अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे और नामांकन पत्रों की जॉच तथा वापसी की प्रक्रिया उन्हीं के द्वारा सम्पन्न की जायेगी।

   नामांकन पत्र प्राप्त करने, दाखिल करने एवं वापसी के समय प्रत्याशी, प्रस्तावक एवं अनुमोदक को अपने परिचय पत्र, प्रवेश रसीद (मूल प्रति) के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना आवश्यक होगा।

2. **छात्रसंघ चुनाव सम्पन्न करने का तिथिवार विवरण -**

नामांकन पत्रों का वितरण	दिनांक **04.09.2018**, समय 11.00 बजे से 03.00 बजे तक दिनांक **05.09.2018**, समय 10.30 बजे से 12.00 बजे तक
नामांकन पत्र जमा करने की तिथि	दिनांक **05.09.2018**, समय 10.30 बजे से 03.00 बजे तक
नामांकन पत्र की जॉच व वापसी	दिनांक **05.09.2018**, समय 03.00 बजे से 05.00 बजे तक
वैध उम्मीद्वारों की सूची का प्रकाशन	दिनांक **06.09.2018**, समय 11.00 बजे
वैध उम्मीद्वारों की बैठक चुनाव अधिकारी के साथ	दिनांक **06.09.2018**, मध्याह्न 12.00 बजे संवाद कक्ष
क्वालीफांइग स्पीच (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, पुस्तकालय–मंत्री)	दिनांक **08.09.2018**, समय 10.30 बजे से 01.00 बजे तक (प्रति उम्मीद्वार 07 मिनट)
मतदान	दिनांक **11.09.2018**, समय 08.00 बजे से 02.00 बजे तक
मतगणना	दिनांक **11.09.2018**, समय 03.00 बजे से
चुनाव परिणाम एवं शपथग्रहण	दिनांक **11.09.2018, मतगणना के उपरान्त**
स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में 30.08.2018 तक प्रवेश ले चुके विद्यार्थी एवं स्नातक द्वितीय एवं तृतीय तथा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के वे छात्र जो 04.09.2018 तक अपराह्न 01.00 बजे तक प्रवेश ले लेगे। वही मतदान/चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे।	

क्रमशः ....2 पर

3. **स्थान:- कला संकाय परिसर (पुस्तकालय भवन)**

4. छात्रसंघ के निम्नांकित पदाधिकारियों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा–

1. अध्यक्ष 2. उपाध्यक्ष 3. महामंत्री 4. पुस्तकालय मंत्री

5. संकाय प्रतिनिधि–

संकाय	कुल प्रतिनिधि	पुरूष	महिला
कला संकाय	08	05	03
विज्ञान संकाय	05	03	02
बी.एड.	02	01	01
वाणिज्य संकाय	04	02	02

प्रत्याशी महाविद्यालय का सम्बंधित सत्र में नियमित/संस्थागत छात्र होना चाहिए। संकाय प्रतिनिधियों का निर्वाचन अनौपचारिक रूप से किया जायेगा। अनौपचारिक निर्वाचन न होने पर निर्वाचन औपचारिक रूप से किया जायेगा। संकाय प्रतिनिधियों के निर्वाचन में सम्बंधित संकाय के आवासीय खण्ड के सभी नियमित छात्र/छात्राएँ मतदान कर सकेंगे। प्रतिनिधियों के प्रस्तावक एवं अनुमोदक उसी संकाय के छात्र/छात्रा होने चाहिए।

5. **जमानत राशि**– अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री एवं पुस्तकालय मंत्री के लिये रू. 1000/– तथा संकाय प्रतिनिधियों के लिए रू. 500/– । जमानत राशि चुनाव अधिकारी के पास जमा होगी जिसकी रसीद दी जायेगी

6. **प्रत्याशी की पात्रता**–

1. प्रत्याशी का किसी आपराधिक घटना में लिप्त होने का पिछला अभिलेख नहीं होना चाहिए अर्थात किसी अपराध अथवा अपराध हेतु परीक्षण (ट्रायल) अथवा सजा प्राप्त नहीं होना चाहिए। इसके संदर्भ में प्रत्याशी को एक शपथ–पत्र (संलग्नक ख) देना होगा।
2. प्रत्याशी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की अनुशासन संहिता के अन्तर्गत किसी अपराधिक घटना/अनुशासनहीनता में दण्डित नहीं होना चाहिए।
3. प्रत्याशी महाविद्यालय का सम्बंधित सत्र का नियमित/संस्थागत छात्र होना चाहिए।
4. प्रत्याशी विकृत मानसिकता (अनसाउण्ड माइण्ड) का नहीं होना चाहिए। इस हेतु प्रत्येक प्रत्याशी को चिकित्सक का प्रमाण–पत्र देना होगा कि वह स्वस्थ मस्तिष्क का है।
5. ऐसे छात्र/छात्रा विधितः चुनाव लड़ने के लिए अनर्ह होंगे जो चुनाव लड़ने के वर्ष में पिछले सत्र/सत्रों का किसी शैक्षणिक बकाये (Academic Arrear) के अधीन हैं। जैसे बैक पेपर आदि।
6. ऐसे छात्र/छात्रा विधितः चुनाव लड़ने के लिए अर्ह नहीं होंगे जो जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होगी।

क्रमशः ....3 पर

7. चुनाव प्रचार एवं चुनाव से सम्बंधित मुद्रित सामग्री प्रयोग नही की जा सकेगी एवं किसी राजनैतिक दल की प्रतिबद्धता तथा सम्बद्धता व्यक्त नहीं की जा सकेगी।
8. चुनाव प्रचार के लिये शिक्षण संस्था के प्रागंण एवं उसके बाहर दीवारों पर लिखना पूर्ण रूप से वर्जित होगा।
9. किसी संस्था अथवा अन्य एजेन्सी द्वारा लगाये गये होर्डिंग को न तो रंगा जायेगा और न मत प्राप्त करने के लिये उस पर लिखा जायेगा।
10. चुनाव प्रचार कक्षाओं के लगने के समय नहीं किया जायेगा।
11. चुनाव प्रचार का जुलूस किसी भी दशा में निकालना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
12. छात्रसंघ के पदाधिकारी पद (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री एवं पुस्तकालय मंत्री) हेतु प्रत्याशी केवल एक बार ही चुनाव लड़ सकेगा। परन्तु कार्यकारणी के अन्य सदस्यों (उपरोक्त चार पदों को छोड़कर) को अधिकतम दो बार चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त कर सकेगा।
13. प्रत्याशी एवं उसके समर्थक संस्था के प्रागंण एवं उसके बाहर लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकेंगे।
14. सभी प्रत्याशियों को एक शपथ–पत्र भरना होगा कि यदि इस आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें चुनाव से वंचित किया जा सकता है।
15. यदि चुनाव में प्रत्याशी अनुशासनहीनता एवं दुर्व्यवहार का दोषी पाया जाता है तो संस्था को उसके चुनाव रद्द करने का अधिकार होगा।
16. स्नातक स्तर के छात्र/छात्राओं की चुनाव लड़ने की आयु 17 वर्ष से 22 वर्ष के बीच होगी।
17. स्नातकोत्तर स्तर के छात्र/छात्राओं हेतु विधितः चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु 25 वर्ष होगी।
18. शोध छात्र/छात्राओं हेतु विधितः चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष होगी।
19. प्रत्याशी/प्रत्याशियों की प्रत्याशिता हेतु अर्हता निर्धारण के लिए आयु का संगणन 01 जुलाई 2018 को निर्णायक तिथि मानकर किया जायेगा।
20. **प्रत्याशियों को अनिवार्य रूप से लिंगदोह समिति की संस्तुतियों का पूर्णरूपेण अध्ययनकर उसका पालन करना अनिवार्य होगा।**

डॉ.(शैलेन्द्र प्रताप सिंह)
प्राचार्य

प्रतिलिपि–
1. चुनाव अधिकारी।
2. नियन्ता मण्डल।
3. कक्षाओं में प्रसारण के लिये।
4. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर।
6. पुलिस अधीक्षक शहर, गोरखपुर।
7. महाविद्यालय नोटिस बोर्ड।
8. समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

डॉ.(शैलेन्द्र प्रताप सिंह)
प्राचार्य